न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हाडोता)

मु.न. 11/2012

उनवान

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, उपखण्ड हरमाडा, जरिये प्रभारी अधिकारी जरिये सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरमाडा, जयपुर, जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये, तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2017

पत्रावली आज न्याय अपके द्वार केम्प कोर्ट हाडोता में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 76/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79/4 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126/1 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर बनता है, जिसके हाल खसरा नम्बर 438/2605 रकबा 0.80 हैक्टेयर हैं।

उक्त भूमि ग्राम हाडोता की पूर्व तहसील आमेर के अन्तर्गत थी, जिसका विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिये राजस्थान सरकार के आदेशानुसार विज्ञप्ति संख्या एफ 12 140 पी.डब्लू/64/3206/ए.एस. दिनांक 24.10.66 राजस्थान गजट नोटिफिकेशन संख्या 39 दिनांक 29.12.66 के पृष्ठ संख्या 971 से 975 के पार्ट प्रथम की भूमि अवाप्ति वास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग के सडक निर्माण जयपुर से सीकर मील 23 से 28 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तार के लिये अवाप्ति की गई थी और नियमानुसार जिन खातेदारों की भूमि रोड हेतु अवाप्त की गई थी, उनको मुआवजा राशि प्रदान करके ही अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी।

प्रार्थी विभाग द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित साबिक नम्बरों की भूमि में से अवाप्त की गई थी, उक्त नम्बरान का वर्तमान खसरा नम्बर 438/2605 है, तथा पूर्व के अन्य खसरा नम्बर के साथ खसरा नम्बर 126/1 जिसका रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि को भी अवाप्त की गई थी, परन्तु उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के तहत सम्बन्धित खातेदारान को मुआवजा राशि दे दी गई थी। उक्त खसरा नम्बर 126/1 के वर्तमान खसरा नम्बर 383 रकबा 0.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 382 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर बनता है, जो अवाप्त के पूर्व भी राजस्व रिकार्ड में 0.61 हैक्टेयर ही दर्ज था और प्रार्थी विभाग को उक्त भूमि को अवाप्ति के पश्चात भी 0.61 हैक्टेयर ही दर्ज हो गया, जबकि विभाग द्वारा 0.23 हैक्टेयर भूमि ही अवाप्त की गई थी। एवं उक्त अवाप्त की गई 0.23 हैक्टेयर भूमि पर विभाग द्वारा उसी समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 का सडक

Scanned by CamScanner

निर्माण कर आम जन के लिये खोल दी गई एवं उक्त भूमि पिछले 30–40 सालों से सडक के ही उपयोग में आ रही है एवं अवाप्ति के पश्चात राजस्व रिकार्ड में उक्त 0.39 हैक्टेयर ही खातेदारान के नाम दर्ज होनी थी। परन्तु राजस्व कारकुनानों द्वारा उक्त अवाप्त की गई भूमि 0.23 हैक्टेयर को विभाग के पक्ष में दर्ज करने से रह गई, जिस कारण विभाग की वर्तमान खातेदारी 0.80 हैक्टेयर के बजाय केवल मात्र 0.57 हैक्टेयर ही दर्ज रही हैं।

उक्त अवाप्तशुदा भूमि जिसके पूर्व खसरा नम्बर 126/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 382, 383 जिसका कुल रकबा अवाप्ति से पूर्व भी 0.61 हैक्टेयर था तथा अवाप्ति के पश्चात वर्तमान में भी 0.61 हैक्टेयर ही है, जिसको राजस्व कारकुनान द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान अवाप्तिशुदा भूमि 0.23 हैक्टेयर का रकबा खातेदारान से कम नही की गई, ना ही विभाग के नाम दर्ज की गई। जिसकी जानकारी पूर्व में प्रार्थी को नही थी, जब प्रार्थी को विभागीय आवश्यकता होने के कारण जमाबन्दी व अन्य राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तो पता चला कि राजस्व कारकुनानों की गलती के कारण विभाग के द्वारा मुआवजा अदा कर अवाप्त की भूमि 0.23 हैक्टेयर आज भी खातेदारान के नाम है, जबकि उक्त भूमि पर वर्तमान में विभाग की सडक बनी हुई है एवं विभाग के कब्जे में ही हैं। इस पर प्रार्थी ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ तहसीलदार चौमूं के यहां उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उक्त गलती को दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया, परन्तु तहसीलदार चौमूं द्वारा उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही नही की एवं न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। जिस कारण प्रार्थी विभाग को न्यायालय श्रीमान के यहां उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया हैं।

अतः संशोधित प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साबिक खसरा नम्बर 126/1 के हाल खसरा नम्बर 383 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 382 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि में से विभाग द्वारा पूर्व में अवाप्तशुदा 0.23 हैक्टेयर भूमि को कम कर विभाग की खातेदारी भूमि के हाल खसरा नम्बर 438/2605 में रकबा बढाया जाकर 0.80 हैक्टेयर करने की कृपा करें, तदनानुसार ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कृपा करें।

तहसीलदार तहसील चौमूं की रिपोर्ट अनुसार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 382 एवं 383 में से सडक में गये 0.23 हैक्टेयर भूमि को कम न करके क्रय की गई 0.61 हैक्टेयर भूमि पूरी ही खाते में दर्ज कर दी गई हैं। इस प्रकार वर्तमान में खातेदार छोटीलाल पुत्र नोला हि0 1/3 सुण्डा राम डालचन्द चतरमल रूडीदेवी पि0 गोमाराम हि0 4/15 चीडी देवी पत्नि नारायणदास सेवादास लालचन्द मुन्नालाल शान्तीदेवी पि0 नारायण हि0 1/15 लक्ष्मीनारायण पु0 जवारा हि0 1/3 कोम माली के खाते 156 एवं 167 दोनों में मिलाकर 0.84 हैक्टेयर भूमि दर्ज हो गई हैं। जबकि खातेदार द्वारा केवल 0.61 हैक्टेयर भूमि ही क्रय की गई थी। जिसमें से भी सडक में 0.23 हैक्टेयर भूमि चली गई थी। हाल खसरा नम्बर 382, 383, 438/2605 के हाल एवं गत नक्शों का मिलान किया गया एवं गत जमाबन्दी एवं हाल जमाबन्दी का मिलान किया गया एवं पेश किये गये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 382, 383 गत खसरा नम्बर 126/1 से बने हैं एवं खसरा नम्बर 438/2605 गत खसरा

उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

नम्बर 76/2, 78/4, 124/3, 130/1, 128/1, 126/1 से बने है। इस प्रकार खसरा नम्बर 126/1 के बने खसरा नम्बर 382, 383 एवं 438/2605 में 0.23 हैक्टेयर भूमि सहवन से खातेदारों के अधिक दर्ज हो जाने से कम किया जाना उचित हैं एवं खसरा नम्बर 382 रकबा 0.14 हैक्टेयर के बजाय 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 383 रकबा 0.47 हैक्टेयर के बजाय 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 438/2605 रकबा 0.58 हैक्टेयर के बजाय 0.80 हैक्टेयर शुद्व कर दिया जावे तो खसरा नम्बर का रकबा गत रिकार्ड के अनुसार शुद्व हो सकता हैं।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अवाप्तशुदा भूमि जिसके पूर्व खसरा नम्बर 126/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 382, 383 जिसका कुल रकबा अवाप्ति से पूर्व भी 0.61 हैक्टेयर था तथा अवाप्ति के पश्चात वर्तमान में भी 0.61 हैक्टेयर ही है, जिसको राजस्व कारकुनान द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान अवाप्तिशुदा भूमि 0.23 हैक्टेयर का रकबा खातेदारान से कम नही की गई, ना ही विभाग के नाम दर्ज की गई। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 126/1 के बने खसरा नम्बर 382, 383 एवं 438/2605 में 0.23 हैक्टेयर भूमि सहवन से खातेदारों के अधिक दर्ज हो जाने से कम किया जाना उचित हैं एवं खसरा नम्बर 382 रकबा 0.14 हैक्टेयर के बजाय 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 383 रकबा 0.47 हैक्टेयर के बजाय 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 438/2605 रकबा 0.58 हैक्टेयर के बजाय 0.80 हैक्टेयर दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 382 रकबा 0.14 हैक्टेयर के बजाय 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 383 रकबा 0.47 हैक्टेयर के बजाय 0.32 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 438/2605 रकबा 0.58 हैक्टेयर के बजाय 0.80 हैक्टेयर दुरूस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमू को रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हाडोता में सुनाया गया।

अशोक कुमार योगी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

Scanned by CamScanner